न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
मुकदमा नम्बर 142/2010
सरकार बनाम शहजाद वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
31.10.19	APP उप0। ज्ञात आदेशिका 8/5/12 की पालना होकर पत्रावली दिनांक 18.11.19 को पेश हो।	
18.11.19	APP उप0। ज्ञात आदेशिका दिनांक 8/5/12 की पालना होकर पत्रावली दिनांक 12.12.19 को पेश हो।	
12/12/19	APP उप0। ज्ञात आदेशिका दिनांक 8/5/12 की पालना होकर पत्रावली दिनांक 19/12/19 को पेश हो।	
19.12.19	अभियोजन अधिकारी उप0। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपर जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा पत्रांक–7744 दिनांक 23.09.2010 से दण्डित बंदी शहजाद खां पुत्र लियाकत खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी डेगाना जक्शन, हाल छावटा कंला थाना रोल ने सात दिवस के आपात पैरोल समाप्ति पर दिनांक 17.0.2010 को जैर अजमेर में उपस्थित नहीं होकर फरार हो जाने से बंदी शहजाद खां व जमानतियों भींवाराम पुत्र गणेशराम प्रजापत निवासी बिल्लू मकराना, सुगनाराम पुत्र पांचुराम मेघवाल निवासी बिल्लु मकराना के विरूद्ध धारा 446 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह अजमेर के पत्र कमांक–2377–82 दिनांक 17.08.2010 के अनुसार दण्डित बंदी शहजाद खां पैरोल से फरार होने पर एफ.आई.आर. पत्रांक–2355 दिनांक 17.08.2010 के द्वारा थाना सिविल लाईन में दर्ज करवाई गई। अप्रार्थी भींवाराम पुत्र गणेशराम एवं सुगनाराम पुत्र पांचुराम द्वारा प्रस्तुत जबाब दिनांक 04.05.2011 का अवलोकन किया। उक्त जबाब अनुसार उनके द्वारा बंदी शहजाद खां की जमानत दी व शहजाद खां सम्यक समय में पुनः कारागृह में उपस्थित नहीं हो सका, जिसके क्रम में उनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर में दर्ज करवा दिया गया था, जो प्रकरण वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (व0ख0) संख्या–3 अजमेर की अदालत में विचाराधीन होना बताते हुऐ, उक्त कृत्य के कारण एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकने का निवेदन किया। अप्रार्थी के उक्त कथन से अभियोजन अधिकारी भी सहमत है। हस्तगत प्रकरण में दण्डित बंदी शहजाद खां पैरोल से फरार होने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी गई एवं जमानती भींवाराम व सुगनाराम के जबाब के अनुसार दण्डित बंदी शहजाद खां पैरोल से फरार के संबंध में उनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर में दर्ज करवा दिया गया था, जो प्रकरण जो तत्समय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (व0ख0) संख्या–3 अजमेर की अदालत में विचाराधीन होना बताया गया है एवं एक ही अपराध के लिए दो बार दण्डित नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण भी वर्ष 2010 से विचाराधीन है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपर जिला मजिस्ट्रेट नागौर द्वारा धारा 446 की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) जिला मजिस्ट्रेट नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.01.22 18:04:53 IST
Reason: SelfAttested